

14.02.25 पत्रावली पेशा दुरी वकील प्राधी व (जपरोभा)
उपग वकील प्राधी ने आदिनांक तक अप्राधी-
गण की तलबी नहीं उपामा है जबकि पूर्व में

Legend

बार-बार इस बाबत आदेश जारी क प्रार्थी को पर्याप्त समय दिया जा चुका है वकिल प्रार्थी ने आज भी तलबी हेतु समय देने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतर पैरा 1 में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 275/142 में से आवागमन हेतु सदामत का रास्ता होना अंकित किया है

अतः इस प्रकार प्रार्थी अपनी जोत व रुक पट्टेपने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध करने में विफल होने पर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(स) पोषणीय नहीं रह जा रही है और प्रार्थी को इस धारा के अन्तर्गत अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी सदामत से चले आ रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने बाबत सम्यक धाराओं में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सक्षम न्यायालय में चाला जोड़ी व सभारहों अतः अन्तर्गत प्रकरण में प्रार्थी रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यक सिद्ध करने में विफल होने के कारण अपोषणीय प्रार्थना पत्र वसीलतएव खारिज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल थुका हो क नम्बर ले कम होकर दाखिल इफ्त हो

Jayendra